"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2017 — पौष 5, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्रमांक 12243/डी. 246/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-12-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-5) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 2348,63,58,365 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार तीन सौ अड़तालीस करोड़ तिरेसठ लाख अन्ठावन हजार तीन सौ पैंसठ मात्र रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,16,74,100	0	1,16,74,100
03	पुलिस	राजस्व	5,00,00,200	0	5,00,00,200
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,19,11,500	0	1,19,11,500
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,100	0	5,00,00,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,40,80,100	0	10,40,80,100
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	41,90,00,000	0	41,90,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,42,58,00,000	0	1,42,58,00,000
		पूंजी	75,18,00,000	0	75,18,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
17	सहकारिता	राजस्व	31,45,050	0	31,45,050
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	37,53,00,000	0	37,53,00,000
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	13,00,100	0	13,00,100
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,77,50,000	0	4,77,50,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	400	0	400
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,56,55,000	0	5,56,55,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
		पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	61,00,000	50,00,000	1,11,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,35,12,91,000	0	1,35,12,91,000
		पूंजी	100	0	100
34	समाज कल्याण	राजस्व	15,00,000	0	15,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,05,93,121	0	1,05,93,121
		पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,70,54,04,946	0	3,70,54,04,946
		पूंजी	65,58,00,400	0	65,58,00,400
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	100	0	100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	300	0	300
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	6,75,00,00,000	0	6,75,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,48,13,76,188	0	3,48,13,76,188
		पूंजी	20,42,97,100	0	20,42,97,100
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	3,66,00,000	0	3,66,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	300	0	300
		पूंजी	300	0	300
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	100	0	100
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,40,00,100	0	2,40,00,100
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	300	0	300
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,96,77,160	0	7,96,77,160
		पूंजी	1,11,00,00,000	0	1,11,00,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,68,20,00,000	0	2,68,20,00,000
	योग -	**राजस्व**	**20,68,69,59,465**	**50,00,000**	**20,69,19,59,465**
		पूंजी	**2,79,43,98,900**	**0**	**2,79,43,98,900**
	वृहद योग		**23,48,13,58,365**	**50,00,000**	**23,48,63,58,365**

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्रमांक 12243/डी. 246/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 16 of 2017)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No.-5) ACT, 2017

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No.-5) Act, 2017.

Issue of Rs. 2348,63,58,365 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2017, amounting in the aggregate to the sums of Two Thousand Three Hundred Crore Sixty Three Lakhs Fifty Eight Thousand Three Hundred Sixty Five rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	1,16,74,100	0	1,16,74,100
03	Police	Revenue	5,00,00,200	0	5,00,00,200
04	Other Expenditure pertaining to Home Department	Revenue	1,19,11,500	0	1,19,11,500
06	Expenditure pertaining to Finance Department	Revenue	5,00,00,100	0	5,00,00,100
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department	Revenue	10,40,80,100	0	10,40,80,100
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	Revenue	41,90,00,000	0	41,90,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
12	Expenditure pertaining to Energy Department	Revenue Capital	1,42,58,00,000 75,18,00,000	0 0	1,42,58,00,000 75,18,00,000
17	Co-operation	Revenue	31,45,050	0	31,45,050
19	Public Health and Family Welfare	Revenue Capital	37,53,00,000 6,00,00,000	0 0	37,53,00,000 6,00,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue	13,00,100	0	13,00,100
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Revenue	4,77,50,000	0	4,77,50,000
23	Water Resources Department	Capital	400	0	400
26	Expenditure pertaining to Culture Department	Revenue	5,56,55,000	0	5,56,55,000
27	School education	Revenue Capital	8,00,000 100	0 0	8,00,000 100
28	Sate Legislature	Revenue	20,00,000	0	20,00,000
29	Administration of Justice and Elections	Revenue	61,00,000	50,00,000	1,11,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue Capital	1,35,12,91,000 100	0 0	1,35,12,91,000 100
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department	Revenue	15,00,000	0	15,00,000
39	Expenditure pertaining to Food Civil Supplies and Consumer Protection Department	Revenue Capital	1,05,93,121 25,00,000	0 0	1,05,93,121 25,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	3,70,54,04,946 65,58,00,400	0 0	3,70,54,04,946 65,58,00,400
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-plan-roads and bridges	Capital	100	0	100
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department	Revenue	300	0	300
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare	Revenue	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	6,75,00,00,000	0	6,75,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	3,48,13,76,188 20,42,97,100	0 0	3,48,13,76,188 20,42,97,100
66	Welfare of Backward Classes and Minorities	Revenue	3,66,00,000	0	3,66,00,000
67	Public Works-Buildings	Revenue Capital	300 300	0 0	300 300
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings	Capital	100	0	100
71	Electronics and Information Technology Department	Revenue	2,40,00,100	0	2,40,00,100
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department	Capital	300	0	300
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue Capital	7,96,77,160 1,11,00,00,000	0 0	7,96,77,160 1,11,00,00,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	2,68,20,00,000	0	2,68,20,00,000
	Total-	**Revenue** **Capital**	**20,68,69,59,465** **2,79,43,98,900**	**50,00,000** **0**	**20,69,19,59,465** **2,79,43,98,900**
	Grand Total		**23,48,13,58,365**	**50,00,000**	**23,48,63,58,365**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.